अनु०… अर्जुनसिंह V/s धोलकंवर

मुकदमा नंबर 113 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2025	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण 1, 4 से 8 एकतरफा। विप्रार्थीगण 11 व 12 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थीगण 2, 3, 9 व 10 के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब का अवसर बंद किया जाता है। हमने प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।

अतः प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुण्डल तहसील सिवाना के खसरा संख्या 970/411 रकबा 0.9146 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसील[illegible] पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। कमिश्नर जारी हो। पा[illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.13 14:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद / 2025 / 237

दिनांक : 11.02.2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
अर्जुनसिंह पुत्र रतनसिंह वगैरह		छैलकंवर पत्नी उतमसिंह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन संख्याः–113 / 2019 **दिनांकः**–05.02.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 970 / 411 रकबा 0.9146 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000 / –प्रार्थीगण मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाद / 2025 / 238

दिनांक : 11.02.2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी कुण्डल को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी अर्जुनसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.03.13 14:27:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)